

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II -Section 3 - Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2015/वैशाख 9,1937

No. 267] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2015/VAISAKHA 9, 1937

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2015

भारत गणराज्य और चिली गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि.328(अ).- जबिक यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड और चिली गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 26 जनवरी 1897 को सैंटियागो में हस्ताक्षर किए गए थे और 14 अप्रैल, 1898 को सैंटियागो में अनुसमर्थन का आदान-प्रदान हुआ था। अतः भारत गणराज्य और चिली गणराज्य के बीच इसे लागू माना जाए:

और जबिक केंद्र सरकार ने प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5 जनवरी, 1963 के आदेश सं. जी एस आर 56 द्वारा निर्देश दिया था कि अध्याय III को छोड़कर उक्त अधिनियम के उपबंध चिली गणराज्य पर लागू होंगे;

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त संधि का निर्धारण निम्नानुसार करती है:-

यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड की महामान्या महारानी और चिली गणराज्य के महामिहम राष्ट्रपति ने अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए एक संधि निष्पादित करने के लिए आपसी सहमित से निर्णय लेकर, तद्नुसार अपने-अपने पूर्णाधिकारियों को नामित किया है:-

महामान्या महारानी, यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड, श्रीमान जॉन जी केनेडी, चिली में ग्रेट ब्रिटेन के मिनिस्टर रेजिडेंट; और चिली गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति, सेनर डॉन कार्लोस मोर्ला विक्यूना, विदेश मंत्री;

जिन्होंने एक-दूसरे को अपनी-अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए, और उन्हें उत्तम एवं विधिवत स्वरूप में पाकर निम्नलिखित अनुच्छेदों पर अपनी सहमति व्यक्त की है:-

अनुच्छेद-।

यदि दोनो देशों में से किसी एक देश में अनुच्छेद-II में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक अपराधों के लिए आरोपी अथवा दोषसिद्ध व्यक्ति दूसरे के भूक्षेत्र में पाया जाता है, तो संविदाकारी पक्षकार वर्तमान संधि में उल्लिखित कतिपय परिस्थितियों एवं शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति को दूसरे पक्षकार को सौंपने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद-॥

निम्नलिखित अपराधों अथवा आपराधिक कृत्यों के लिए पारस्परिकता के आधार पर प्रत्यर्पण किया जाएगा:-

- 1. हत्या (हत्या, पितृ हत्या, शिशु हत्या तथा जहर देने सहित) अथवा हत्या की कोशिश अथवा षड्यंत्र।
- 2. मानव हत्या
- 3. गर्भपात करवाने के आशय से दवाइयों का प्रयोग अथवा औजारों का प्रयोग करना;
- 4. बलात्कार
- 5. 14 वर्ष से कम आयु की लड़की के बारे में दैहिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना, यदि दोनों संविदाकारी पक्षकार देशों के कानूनों के अनुसार प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, इन अपराधों को साबित करे;
- 6. दुर्भावनापूर्ण हमला;
- 7. अपहरण तथा गैर-कानूनी तरीके से बंदी बनाना, बच्चा चुराना;
- 8. अपहरण
- 9. द्विविवाह
- दुर्भावनावश जख्मी करना अथवा गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाना;
- 11. वास्तविक शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला हमला करना;
- 12. धनराशि अथवा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की अवैध वसूली के आशय से पत्र द्वारा अथवा अन्यथा धमकी देना;
- 13. झूठा हलफनामा देना अथवा, मिथ्या शपथ दिलाना;
- 14. लूटमार;
- 15. लूट अथवा सेंधमारी, हिंसात्मक लूट-पाट, चोरी अथवा गबन;
- 16. जमानती, बैंकर, एजेंट, कारिन्दे, न्यासी, निदेशक, किसी कंपनी का सदस्य अथवा लोक अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी, जिसकी सजा उस समय लागू किसी कानून के तहत कम से कम एक वर्ष है;
- 17. छल-कपट द्वारा धनराशि, बहुमूल्य अमानत अथवा वस्तुएं प्राप्त करना; किसी प्रकार की राशि, बहुमूल्य अमानत अथवा अन्य सम्पत्ति, यह जानते हुए प्राप्त करना कि वह चोरी से अथवा गैर-कानूनी तरीके से प्राप्त की गई है।
- 18. (क) जाली मुद्रा तैयार करना अथवा मुद्रा में परिवर्तन करना अथवा जाली या परिवर्तित मुद्रा का परिचालन;
 - (ख) राज्य के जाली मुद्रा तैयार करने के लिए, बिना किसी कानूनी प्राधिकार के कोई उपकरण, औजार या इंजन में जान-बूझकर फेरबदल करना;
 - (ग) जालसाजी करना अथवा जालसाजी के बारे में बोलना;
- 19. दिवालीयापन कानूनों का उल्लंघन;

- 20. रेल में सवार अथवा यात्रा कर रहे किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने के आशय से किया गया कोई दुर्भावनापूर्ण कृत्य।
 - 21. दुर्भावनापूर्ण तरीके से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यदि इस प्रकार का अपराध अभ्यारोपण योग्य हो।
- 22. व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के विरुद्ध जलदस्युता तथा अन्य अपराधों या आपराधिक कृत्यों, जिसे समुद्र में अंजाम दिया गया हो, जो संविदाकारी पक्षकारों के कानूनों के अनुसार प्रत्यर्पणीय अपराध है और जिसके लिए एक वर्ष से अधिक की कैद का प्रावधान है।
 - 23. दासों की इस प्रकार खरीद-फरोख्त करना, जो कि इन राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार एक आपराधिक कृत्य हो जाए।

उपरोक्त किसी भी अपराध में संलिप्त होने के लिए भी प्रत्यर्पण किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी संलिप्तता दोनों संविदाकारी पक्षकारों के कानूनों के अनुसार दंडनीय हो।

दोनों संविदाकारी पक्षकारों के देश में वर्तमान में लागू कानूनों के अनुसार किसी अन्य प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में दोनों राष्ट्रों के विवेकानुसार भी प्रत्यर्पण किया जा सकता है।

अनुच्छेद-॥।

प्रत्येक संविदावारी पक्षकार के पास अपनी प्रजा अथवा नागरिकों को सौंपने अथवा सौंपने से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित है।

अनुच्छेद-IV

यदि महामान्या की सरकार द्वारा वांछित व्यक्ति अथवा चिली की सरकार द्वारा वांछित व्यक्ति पर ऐसे किसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है, जिस पर पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है अथवा सजा दी जा चुकी है अथवा क्रमशः चिली गणराज्य या यूनाईटेड किंगडम के भूक्षेत्र में अभी तक मुकदमा चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा।

यदि महामान्या की सरकार अथवा चिली की सरकार द्वारा वांछित व्यक्ति को क्रमशः चिली गणराज्य अथवा यूनाईटेड किंगडम के भूक्षेत्र में किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा चलाने हेतु वहां उपस्थित होना चाहिए, तो मुकदमा समाप्त होने तथा दी गई संपूर्ण सजा के काटने तक उसका प्रत्यर्पण आस्थगित कर दिया जाएगा।

<u>अनुच्छेद-V</u>

आपराधिक कृत्य करने अथवा दंडात्मक अभियोजन शुरू करने अथवा दोष सिद्ध होने के तत्काल बाद यदि आवेदक अथवा आवेदन प्राप्त राज्य द्वारा राष्ट्र के कानूनों के अनुसार समय समाप्ति के कारण अभियोजन अथवा दंड से छूट प्राप्त कर ली गई है, तो प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा।

इसी तरह यह प्रत्यर्पण उस स्थिति में भी नहीं किया जाएगा, जब दोनों देशों के कानून के अनुसार किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा के तौर पर एक वर्ष से कम का कारावास हो।

अनुच्छेद-VI

यदि किसी भगोड़े अपराधी के अभ्यर्पण की मांग किसी ऐसे अपराध के लिए की जाती है जो राजनैतिक प्रकृति है अथवा वह यह सिद्ध कर देता है कि अभ्यर्पण के लिए उसकी मांग वास्तव में इस दृष्टिकोण से की गई है कि उसे राजनैतिक किस्म के अपराध के लिए दंडित किया जाए तो उसका अभ्यर्पण नहीं होगा।

अनुच्छेद-VII

किसी व्यक्ति को, जिसका किसी मामले के लिए प्रत्यर्पण करवाया गया है, उसे किसी और अपराध के लिए अथवा किन्हीं अन्य कारणों से उस देश में जिसमें उसका अभ्यर्पण हुआ है किसी भी परिस्थिति में बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है जब तक कि उसे वापस ना किया गया हो अथवा उसे उस देश में लौटने की अनुमति ना दी गई हो जहां से उसका प्रत्यर्पण हुआ हो। यह शर्त उन अपराधों पर लागू नहीं होती जो प्रत्यर्पण के बाद किए गए हों।

अनुच्छेद-VIII

प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध संबद्ध संविदाकारी पक्षकारों द्वारा राजनयिक एजेंटों के माध्यम से किया जाएगा।

किसी दोषी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध के साथ प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट अवश्य होना चाहिए और साथ ही जिस देश में अपराधी हो, वहां के कानून के अनुसार उस देश में उक्त अपराध करने पर गिरफ्तारी औचित्यपूर्ण हो।

यदि अनुरोध ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसकी दोष सिद्धि हो चुकी है तो ऐसे अनुरोध के साथ अनुरोध करने वाले देश के सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति के विरुद्ध पारित दंडादेश की प्रति संलग्न होनी चाहिए।

किसी दुराग्रह से पारित किसी सजा को दोषसिद्धि नहीं माना जाएगा परंतु जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी सज़ा का का आदेश दिया गया है उसे अपराधी माना जाएगा।

<u>अनुच्छेद-IX</u>

यदि प्रत्यर्पण के लिए किया गया अनुरोध पूर्ववत शर्तों के अनुसार है तो जिस देश को आवेदन किया गया है, उस देश के सक्षम प्राधिकारी भगोड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी की दिशा में आगामी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनुच्छेद-X

किसी मगोड़े अपराधी को ऐसी स्चना अयवा/शिकायत या ऐसे साक्ष्य ख्यूवा ऐसी कार्यवाही के बाद, जो वारंट जारी करने वाले अधिकारी की राय में वारंट जारी करने का औचित्य सिद्ध करे, किसी पुलिस मजिस्ट्रेट, जिस्टिस ऑफ पीस या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वारंट के आधार पर दोनों में किसी देश में गिरफ्तार किया जा सकता है, यदि अपराध किया गया हो या दोषसिद्ध व्यक्ति दोनों संविदाकारी पक्षकार देशों के ऐसे नियंत्रणाधीन क्षेत्र में हो, जहां मजिस्ट्रेट, जिस्टिस ऑफ पीस अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करता है; तथापि, यूनाईटेड किंगडम में ऐसे मामले में अभियुक्त को यथाशीघ्र लंदन में मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार यूनाईटेड किंगडम की भांति चिली गणतंत्र में भी यदि नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उसके देश द्वारा इस संधि की शर्तों के अनुसार प्रत्यर्पण की मांग नहीं की जाती है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। इस संधि में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या जुर्म, जो दोनों में से किसी देश से दूसरे देश में आने वाले जहाज में दूर समुद्र में किया गया हो, के मामले में अभियुक्तों या दोषसिद्ध व्यक्तियों पर यही कानून लाकू होगा।

अनुच्छेद-XI

प्रत्यार्पण तभी होगा जब आवेदन प्राप्त करने वाले देश के कानून के अनुसार पर्याप्त साक्ष्य हों, जो या तो मुकदमा हेतु कैदी की गिरफ्तारी का औचित्य सिद्ध करे, यदि अपराध उसी राज्य के क्षेत्र में किया गया है अथवा यह साबित करने का आधार हो कि कैदी वहीं व्यक्ति है, जो उस राज्य के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध हों, जिसने मांग की है तथा जिस अपराध में उसे दोषसिद्ध माना गया है, वह ऐसा है, जिसके लिए दोषसिद्धि के समय आवेदन प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्रत्यर्पण की मंजूरी दी जा सकती थी और किसी अपराधी को तब तक अभ्यर्पित नहीं किया जाएगा, जब तक कि जेल में उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों तक अभ्यर्पण के लिए वारंट की प्रतीक्षा न की गई हो।

अनुच्छेद-XII

उपर्युक्त शर्तों के अनुसार जो जांच की जानी है, उसमें आवेदन प्राप्तकर्ता राज्य के प्राधिकारी शपथ लेकर दिए गए बयान या अन्य देश मैं गवाहों के स्वीकरण अथवा उनकी प्रतियों और उसी प्रकार जारी किए गए वारंट अथवा दी गई सजा तथा दोषसिद्धि के तथ्यों के प्रमाण-पत्र अथवा न्यायिक प्रलेख को स्वीकार करेंगे, बशर्ते कि इसे निम्नलिखित ढंग से अधिप्रमाणित किया गया हो:-

- 1. वारंट पर अनिवार्यतः किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
- बयान या स्वीकरण अथवा उनकी प्रतियां किसी दूसरे देश के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः हसताकारित हों, ताकि उसे मूल बयान या स्वीकरण अथवा उनकी सत्य प्रतिलिपि, जैसा अपेक्षित हो, माना जा सके।
- 3. दोषसिद्धि से संबंधित तथ्यों का उल्लेख करने वाले प्रमाण-पत्र अथवा न्यायिक प्रलेख दूसरे देश के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों।

4. प्रत्येक मामलों में ऐसे वारेंट, बयान, अभिपुष्टी, प्रति, प्रमाणपत्र या विधिक दस्तावेज या तो किसी गवाह की शपथ द्वारा अथवा न्याय मंत्री की या अन्य राज्य के किसी अन्य मंत्री की सरकारी मुहर द्वारा मुहरबंद करके प्रमाणित किया जाना चाहिए परंतु जहां जांच की गई है उस देश के कानून द्वारा कुछ समय के लिए प्रमाणन का कोई अन्य तरीका उपर्युक्त के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

अनुच्छेद-XIII

इस वर्तमान संधि के अनुसरण में यदि कोई संविदाकारी पक्षकार किसी व्यक्ति का दावा करता है तथा कोई एक या अधिक अन्य शक्तियां भी अपने संबंधित क्षेत्रों में अन्य अपराध या गुनाह करने के लिए उस व्यक्ति का दावा करती हैं, तो उसका प्रत्यर्पण उस राज्य को किया जाएगा जिसकी मांग की तारीख पहले होगी।

<u>अन्</u>च्छेद-XⅣ

यदि प्रत्यर्पण के पर्याप्त सबूत भगोड़े के पकड़े जाने की तारीख से दो महीने के अंदर या आवेदित देश या उसके समुचित न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय के अंदर नहीं प्रस्तुत किए गए तो भगोड़े को छोड़ दिया जाएगा।

अनुच्छेद-XV

प्रत्यर्पण किए जाने वाले व्यक्ति से गिरफ्तारी के समय जब्त की गई सभी वस्तुएं, यदि प्रत्यर्पण के लिए आवेदन प्राप्त करने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी वस्तुओं की सुपुर्दगी के निर्देश दिए हैं, प्रत्यर्पण के समय सौंप दी जाएगी तथा कथित सुपुर्दगी केवल चोरी की गई बरतुओं तक सीमित नहीं होगी, अपितु उन सब वस्तुओं की होगी जो अपराध के सबूत के रूप में प्रयोग आ सकते हैं।

अन्च्छेद-XVI

प्रत्यर्पण से संबंधित सभी व्यय प्रत्यर्पण की मांग करने वाले राज्य द्वारा उठाया जाएगा।

अनुच्छेद-XVII

इस वर्तमान संधि की शर्तें ब्रिटेनिक महामान्या के उपनिवेशों तथा विदेशी कब्जे वाले क्षेत्रों पर लागू होगी, जहां तक ऐसे उपनिवेशों तथ विदेशी कब्जे वाले क्षेत्र इसकी अनुमति देंगे।

ऐसे भगोड़े अपराधी के समर्पण की मांग, जिसने ऐसे किसी उपनिवेशों या विदेशी कब्जे में शरण ले रखी है, चिली गणराज्य में ऐसे उपनिवेशों तथा विदेशी कब्जे वाले क्षेत्रों के गवर्नर या मुख्य अधिकारी को चिली गणराज्य में ऐसे उपनिवेशों तथा कब्जों वाले क्षेत्रों के मुख्य कौंसली प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

ऐसी मांग का निपटारा हमेशा ऐसे उपनिवेशों या विदेशी आधिपत्य वाले क्षेत्रों के कानून के अंतर्गत अनुमत्य सीमा के यथानिकटतम तरीके से तथा इस संधि के प्रावधानों के अध्यधीन कथित गवर्नर या मुख्य प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, वहरहाल उसे या तो प्रत्यार्पण की मंजूरी देने या मामले को अपने सरकार के पास भेज देने की स्वतंत्रता होगी।

हालांकि, ब्रिटानिक महामान्या को ब्रिटिश उपनिवेशों तथा विदेशी कब्जों में चिली अपराधी के समर्पण के लिए, जो ऐसे उपनिवेशों तथा विदेशी कब्जों वाले क्षेत्रों में शरण ले सकते हैं, विशेष व्यवस्था बनाने की स्वतंत्रता है, इसका आधार वर्तमान संधि के प्रावधानों तथा ऐसे उपनिवेशों या विदेशी कब्जों वाले क्षेत्र का कानून होगा।

ब्रिटानिक महामान्या के या उपनिवेशों वाले क्षेत्रों से निकलने वाले भगोड़े अपराधी के समर्पण की मांग को वर्तमान संधि के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दिए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

अनुच्छेद-XVIII

वर्तमान संधि संविदाकारी पक्षकारों के कानूनों द्वारा निर्धारित फार्मी के अनुरूप इसके प्रकाशन के दस दिनों के पश्चात् लागू होगी। इसे किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा या तो न्यूनतम छः महीने या अधिकतम एक वर्ष से अनाधिक के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता है)।

इसे चिली गणराज्य की कांग्रेस से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के बाद अनुसमर्थित किया जाएगा तथा अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र सेंटियागों में किया जाएगा। इस अनुसमर्थन को जितनी जल्दी हो सके सेंटियागों में इसके साक्ष्य में प्रतिनिधिक पूर्णाधिकारी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं तथा अपनी सील लगाई है।

वर्ष 1897 में जनवरी के 26वें दिन, सेंटियागो में निष्पन्न।

अतः अब, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्दवारा निर्देश देती है कि अध्याय III को छोड़कर उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान उपर्युक्त संधि में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चिली गणराज्य में लागू होंगे।

[फा. सं. टी-413/44/2008]

पी. कुमारन, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 28th April, 2015

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF CHILE

G.S.R.328(E).—Whereas the Extradition Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and the Republic of Chile was concluded and signed at Santiago on the January 26, 1897 and the Ratification exchanged at Santiago on the April 14, 1898, are considered to be in force between the Republic of India and the Republic of Chile:

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962) had directed by an order number G. S. R. 56, dated January 5, 1963 that the provisions of the said Act, other than Chapter III shall apply to the Republic of Chile:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby sets out the aforesaid Treaty as under:-

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and his Excellency the President of the Republic of Chile, having determined, by common consent, to conclude a Treaty for the extradition of criminals, have accordingly named as their Plenipotentiaries:-

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, John G. Kennedy, Esq., Minister Resident of Great Britain in Chile; and

His Excellency the President of the Republic of Chile, Senor Don Cárlos Morla Vicuna, Minister of Foreign Affairs;

Who, after having exhibited to each other their respective full powers, and found them in good and due form, have agreed upon the following Articles:-

Article I

The High Contracting Parties engage to deliver up to each other, under certain circumstances and conditions stated in the present Treaty, those persons who, being accused or convicted of any of the crimes or offences enumerated in Article II, committed in the territory of the one Party, shall be found within the territory of the other Party.

Article II

Extradition shall be reciprocally granted for the following crimes or offences:

- 1. Murder (including assassination, parricide, infanticide, poisoning), or attempt or conspiracy to murder;
- 2. Manslaughter;
- 3. Administering drugs or using instruments with intent to procure the miscarriage of women;
- 4. Rape;
- 5. Carnal knowledge or any attempt to have carnal knowledge of a girl under 14 years of age, if the evidence produced justifies committal for those crimes according to the laws of both the Contracting Parties;
- 6. Indecent assault;
- 7. Kidnapping and false imprisonment, child stealing;
- 8. Abduction;

- 9. Bigamy;
- 10. Maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm;
- 11. Assault occasioning actual bodily harm;
- 12. Threats, by letter or otherwise, with intent to extort money or other things of value;
- 13. Perjury, or subornation of perjury;
- 14. Arson;
- 15. Burglary or house-breaking, robbery with violence, larceny, or embezzlement;
- 16. Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, director, member, or public officer of any company, punishable with imprisonment for not less than one year by any law for the time being in force;
- 17. Obtaining money, valuable security, or goods by false pretences; receiving any money, valuable security, or other property, knowing the same to have been stolen or unlawfully obtained;
- 18. (a) Counterfeiting or altering money or bringing into circulation counterfeited or altered money;
 - (b) Knowingly making without lawful authority any instrument, tool, or engine adapted and intended for the counterfeiting of the coin of the realm;
 - (c) Forgery, or uttering what is forged.
- · 19. Crimes against bankruptcy law;
- 20. Any malicious act done with intent to endanger the safety of any persons travelling or being upon a railway;
- 21. Malicious injury to property, if such offence be indictable;
- 22. Piracy and other crimes or offences committed at sea against persons or things which, according to the laws of the High Contracting Parties, are extradition offences, and are punishable by more than one year's imprisonment;
- 23. Dealing in slaves in such manner as to constitute a criminal offence against the laws of both States.
 The extradition is also to be granted for participation in any of the aforesaid crimes, provided such participation be punishable by the laws of both Contracting Parties.

Extradition may also be granted at the discretion of the State applied to in respect of any other crime for which, according to the laws of both the Contracting Parties for the time being in force, the grant can be made.

Article III

Each Party reserves the right to refuse or grant the surrender of its own subjects or citizens to the other party.

Article IV

The extradition shall not take place if the person claimed on the part of Her Majesty's Government, or the person claimed on the part of the Government of Chile, has already been tried and discharged or punished, or is still under trial in the territory of the Republic of Chile or in the United Kingdom respectively, for the crime for which his extradition is demanded.

If the person claimed on the part of Her Majesty's Government, or on the part of the Government of Chile, should be under examination for any other crime in the territory of the Republic of Chile or in the United Kingdom respectively, his extradition shall be deferred until the conclusion of the trial, and the full execution of any punishment awarded to him.

Article V

The extradition shall not take place if, subsequently to the commission of the crime, or the institution of the penal prosecution or the conviction thereon, exemption from prosecution or punishment has been acquired by lapse of time, according to the laws of the State applying or applied to.

It shall likewise not take place when, according to the law of either country, the maximum punishment for the offence is imprisonment for less than one year.

Article VI

A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence in respect of which his surrender is demanded is one of a political character, or if he proves that the requisition for his surrender has, in fact, been made with a view to try or punish him for an offence of a political character.

Article VII

A person surrendered can in no case be kept in prison or be brought to trial in the State to which the surrender has been made, for any other crime, or on account of any other matters, than those for which the extradition shall have taken place, until he has been restored, or has had an opportunity of returning to the State by which he has been surrendered. This stipulation does not apply to crimes committed after the extradition.

Article VIII

The requisition for extradition shall be made through the Diplomatic Agents of the High Contracting Parties respectively.

The requisition for the extradition of an accused person must be accompanied by a warrant of arrest issued by the competent authority of the State requiring the extradition and by such evidence as, according to the laws of the place where the accused is found would justify his arrest if the crime had been committed there.

If the requisition relates to a person already convicted, it must be accompanied by the sentence of condemnation passed against the convicted person by the competent Court of the State that makes the requisition for extradition.

A sentence passed in contumaciam is not to be deemed a conviction, but a person so sentenced may be dealt with as an accused person.

Article IX

If the requisition for extradition be in accordance with the foregoing stipulations, the competent authorities of the State applied to shall proceed to the arrest of the fugitive.

Article X

A criminal fugitive may be apprehended under a warrant issued by any Police Magistrate, Justice of Peace, or other competent authority in either country, on such information or complaint, and on such evidence, or after such proceedings, as would, in the opinion of the authority issuing the warrant, justify the issue of a warrant if the crime had been committed or the person convicted in that part of the dominions of the two Contracting Parties in which the Magistrate, Justice of Peace, or other competent authority, exercises jurisdiction: provided, however, that in the United Kingdom the accused shall, in such case, be sent as speedily as possible before a Police Magistrate in London. He shall, in accordance with this Article, be discharged, as well in the Republic of Chile as in the United Kingdom, if within the term of ninety days a requisition for extradition shall not have been made by the Diplomatic Agent of his country in accordance with the stipulations of this Treaty. The same rule shall apply to the cases of persons accused or convicted of any of the crimes or offences specified in this Treaty, and committed in the high seas on board any vessel of either country which may come into a port of the other.

<u>Article XI</u>

The extradition shall take place only if the evidence be found sufficient, according to the laws of the State applied to, either to justify the committal of the prisoner for trial, in case the crime had been committed in the territory of the same State, or to prove that the prisoner is the identical person convicted by the Courts of the State which makes the requisition, and that the crime of which he has been convicted is one in respect of which extradition could, at the time of such conviction, have been granted by the State applied to; and no criminal shall be surrendered until after the expiration of fifteen days from the date of his committal to prison to await the warrant for his surrender.

Article XII

In the examinations which they have to make in accordance with the foregoing stipulations, the authorities of the State applied to shall admit as valid evidence the sworn depositions or the affirmations of witnesses taken in the other State, or copies thereof, and likewise the warrants and sentences issued therein, and certificates of, or judicial documents stating the fact of a conviction, provided the same are authenticated as follows:-

1. A warrant must purport to be signed by a Judge, Magistrate, or officer of the other State.

- Depositions or affirmations, or the copies thereof, must purport to be certified, under the hand of a Judge, Magistrate, or officer of the other State, to be the original depositions or affirmations, or to be true copies thereof, as the case may require.
- A certificate of, or judicial document stating, the fact of a conviction must purport to be certified by a Judge, Magistrate, or officer of the other State.
- 4. In every case such warrant, deposition, affirmation, copy, certificate, or judicial document must be authenticated, either by the oath of some witness, or by being sealed with the official seal of the Minister of Justice, or some other Minister of the other State; but any other mode of authentication for the time being permitted by the law of the country where the examination is taken may be substituted for the foregoing.

Article XIII

If the individual claimed by one of the High Contracting Parties in pursuance of the present Treaty should be also claimed by one or several other Powers on account of other crimes or offences committed upon their respective territories, his extradition shall be granted to the State whose demand is earliest in date.

Article XIV

If sufficient evidence for the extradition be not produced within two months from the date of the apprehension of the fugitive, or within such further time as the State applied to, or the proper Tribunal thereof, shall direct, the fugitive shall be set at liberty.

Article XV

All articles seized which were in the possession of the person to be surrendered at the time of his apprehension shall, if the competent authority of the State applied to for the extradition has ordered the delivery of such articles, be given up when the extradition takes place; and the said delivery shall extend not merely to the stolen articles, but to everything that may serve as a proof of the crime.

Article XVI

All expenses connected with extradition shall be borne by the demanding State.

Article XVII

The stipulations of the present Treaty shall be applicable to the Colonies and foreign possessions of Her Britannic Majesty, so far as the laws in such Colonies and foreign possessions respectively will allow.

The requisition for the surrender of a fugitive criminal, who has taken refuge in any of such Colonies or foreign possessions, shall be made to the Governor or chief authority of such Colony or possession by the chief Consular officer of the Republic of Chile in such Colony or possession.

Such requisition may be disposed of, subject always, as nearly as may be, and so far as the law of such Colony or foreign possession will allow, to the provisions of this Treaty, by the said Governor or chief authority, who, however, shall be at liberty either to grant the surrender or to refer the matter to his Government.

Her Britannic Majesty shall, however, be at liberty to make special arrangements in the British Colonies and foreign possessions for the surrender of Chilean criminals who may take refuge within such Colonies and foreign possessions, on the basis, so far as the law of such Colony or foreign possession will allow, of the provisions of the present Treaty.

Requisitions for the surrender of a fugitive criminal emanating from any Colony or foreign possession of Her Britannic Majesty shall be governed by the rules laid down in the preceding Articles of the present Treaty.

Article XVIII

The present Treaty shall come into force ten days after its publication in the conformity with the forms prescribed by the laws of the High Contracting Parties. It may be terminated by either of the High Contracting Parties by a notice not exceeding one year, and not less than six months.

It shall be ratified, after receiving the approval of the Congress of the Republic of Chile, and the ratification shall be exchanged at Santiago as soon as possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and affixed thereto their respective seals.

Done at Santiago, the 26th day of January, in the year 1897.

Now therefore, in the exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Extradition Act, 1962(34of 1962), the Central Government hereby direct that the provision of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Chile with effect from the date of publication of this notification, in respect of the offences specified in the above Treaty.

[F. No.T- 413/44 /2008]
P. KUMARAN, Jt. Secy. (CPV)